तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिषियल्य जज राजस्व विविध वाद संख्या 28/2017 बोराराम वगैरा बनाम राणाराम वगैरा	विवरण
06.02.2023	प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया। वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गुकनपुरा पटवार हल्का बड़लिया के खसरा संख्या 128 रकबा 21 बीघा 13 बिस्वा एवं खसरा संख्या 129 रकबा 20 बीघा 01 बिस्वा कुल खसरा 02 कुल रकबा 41 बीघा 14 बिस्वा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 03 से 15 की सयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि हुई है। प्रार्थीगण ने आगे प्रार्थना पत्र मे कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात के राजसव रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का नाम राजस्व कर्मचारियो की गलती से दर्ज हो गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाम का अनुचित फायदा उठाकर वाग्रस्त आराजीयात मे से 13 बीघा 18 बिस्वा का बेचान दिदनांक 19.07.2017 को जरिये पंजिकृत बेचान दस्तावेज से अप्रार्थी संख्या 16 से 17 के पक्ष मे निष्पादित कर बेचान दस्तावेज पंजिकृत करवा दिया। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के अन्त में ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द करने का अनुतोष चाह गया। प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी एवं बेचान दस्तावेज दिनांक 19.07.2017 की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत की। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 12 से 16 का सयुक्तरूप से 1/3, अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का सयुक्तरूप से 1/3 एवं अप्रार्थी संख्या 03 से 11 का सयुक्तरूप से 1/3 हक हिस्सा कब्जा काश्त हैं। लेकिन राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थीगण एव अप्रार्थी संख्या 12 से 16 का नाम दर्ज नही हैं। जवाब प्रार्थना पत्र में आगे कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात में अप्रार्थी संख्या 01 से 02 का 1/3 हक हिस्सा कब्जा काश्त था। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने अपने खातेदारी अधिकारो का उपयोग करते हुए वादग्रस्त आराजीयात मेसे अपना सम्पुर्ण हक हिस्सा का बेचान अप्रार्थी संख्या 16 से 17 के पक्ष में विधि अनुसार कर दिया एवं विधि अनुसार बेचान दस्तावेज निष्पादित कर पंजिकृत करवा दिया। प्रार्थीगण ने केवल स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है। एक सह खातेदार काश्तकार दुसरे सह खातेदार के विरूद्व केवल स्थाई	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत नही कर सकता। प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया सुविधा का सन्तुलन एवं अपुर्णीय क्षति के बिन्दु नही होने के कारण प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी एवं बेचान दस्तावेज का अवलोकन किया। जमाबन्दी में अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। प्रार्थीगण का कथन यह रहा कि अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का नाम राजस्व रेकर्ड में राजस्व कर्मचारियो की गलती से दर्ज हो गया। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में यह खुलासा नही किया कि अप्रार्थी संख्या 01 से 02 का नाम किस प्रकार की गलती से दर्ज हुआ। प्रार्थीगण अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया सुविधा का सन्तुलन एवं अपुर्णीय क्षति के बिन्दु साबित करने में असफल रहा। प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी की जावें।

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी